



संख्या : 102/06/SR/2018/ 763-68

दिनांक: 30 मार्च 2021

नीलामी सूचना / Auction Notice

भारत सरकार के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद, निम्नलिखित सरकारी सामान की नीलामी हेतु "जैसी और जहां पर उपलब्ध" के आधार पर, रजिस्टर्ड / एवं गैर-रजिस्टर्ड बोलीदाता (स्कैप / पुराना सामान खरीददार / काबाड़ी) से लिफाफा बंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं

For and on behalf of the President of India, sealed quotations are invited from Registered/unregistered bidders (scrap Merchant/Junk Merchant/Kabadi) for auction of following items "As and Where basis" by The Executive Engineer, P&I, Division, CWC, Faridabad.


List of items to be auctioned

S.No.	Models	No.	Name of the Material	Approximate Weight (in kg)
1	Three dimensional River Ganga	1	Aluminum	13.00
			Iron	43.00
			Plastic	18.00
2	Concrete Gravity	1	Aluminum	8.00
			Iron	21.00
			Plastic	11.00
3	Rock fill Dam	1	Aluminum	8.00
			Iron	21.00
			Plastic	8.00
4	Bhakra Dam	1	Aluminum	7.00
			Iron	15.00
			Plastic	10.00
5	Barghi project	1	Aluminum	7.00
			Iron	15.00
			Plastic	9.00

कै. शक्ति मंत्रालय
30/03/21

पृष्ठ 1 ऑफ 5

Quarter No 1061-64, Type V,
NH-IV, N.I.T. Faridabad,
Haryana -121001
Telephone: 0129-2412576
E-mail : pi-cwc@nic.in



क्वार्टरसं 1061-64, टाइप V, एन.
एच. -IV, एन.आई.टी., फरीदाबाद
हरियाणा- 121001
दूरभाष : 0129-2412576
ईमेल : pi-cwc@nic.in



निबंधन एवं शर्तें / Terms and Conditions

1. सामान "जैसा और जहां पर उपलब्ध" के आधार पर बिक्री हेतु उपलब्ध है। यह सामान उपमंडल अभियंता प्रदर्शनी एवं संग्राहलय उपमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, कालिंदी भवन, बी-5, तारा क्रीसेंट रोड, कुतुब इन्स्टीटुशनल एरिया, कटवारिया सराई, नई दिल्ली-110016 में किसी भी सरकारी कार्य दिवस 1430 बजे से 1630 बजे तक, इच्छुक पार्टी द्वारा देखी जा सकती है।

The items are available on sale on "As and Where basis". The items can be inspected by the interested parties on any working days between 1430 hrs to 1630 hrs at office of SUB DIVISIONAL ENGINEER, M&E SUB DIVISION, CENTRAL WATER COMMISSION, KALINDI BHAWAN, B-5, TARA CRESENT ROAD, QUTUB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIYA SARAI, NEW DELHI-110016".

2. लिफाफा बंद कोटेशन "उपमंडल अभियंता प्रदर्शनी एवं संग्राहलय उपमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, कालिंदी भवन, नई दिल्ली को दिनांक 08.04.2021, 1500 बजे तक भेजी जा सकती हैं तथा ये उसी दिन 1530 बजे खोली जाएंगी इच्छुक बोलीदाता चाहें तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।


The sealed quotations shall be sent to the "Sub Divisional Engineer, M&E Sub Division, CWC, Kalindi Bhawan, New Delhi" on or before 08.04.2021 up to 15:00 hours and will be opened on the same day at 15.30 Hrs. Intending bidders may be present at the time of opening of auction bid.

3. बंद लिफाफे के उपर "टी&पी सामान की बिक्री हेतु" लिखा हुआ होना चाहिए।

The cover/Envelope must be duly super scribed as "For the auction of T&P items".

काश लाल
30.03.2021

पृष्ठ 2 ऑफ 5





4. बोलीदाता को 1500/ रुपए अग्रिम राशि के रूप में, अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद को नकद या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एक अलग लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रिम राशि के बोली अमान्य मानी जाएगी और स्वतः अयोग्य हो जाएगी।

The bidder should deposit Rs 1500.00 as EMD in a separate sealed envelope in the form of A/C Payee Bank Draft / Cash in the favour of "Executive Engineer, P&I Division, CWC, Faridabad". Without earnest money the bid shall be treated as invalid & automatically disqualified.

5. बोलीदाता के पास मान्य पैन एवं मान्य बैंक खाता होना आवश्यक है।

Bidder shall have valid PAN and valid/ active Bank Account No.


6. असफल बोलीदाता की अग्रिम राशि वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की अग्रिम राशि उसकी बोली राशि में समायोजित कर ली जाएगी।

EMD of unsuccessful bidder shall be returned to the respective bidders. EMD of the successful bidder will be adjusted in bidding amount.

7. नीलाम सामान की सुपुर्दगी, कार्यालय द्वारा पत्र जारी होने के 15 दिन के अंदर पूरी राशि जमा करने के पश्चात कर दी जाएगी, अन्यथा अग्रिम राशि जब्त मानी जाएगी।

The delivery of the auctioned items is to be taken within 15 days on the issue of letter of offer after making full payment thereof; otherwise the earnest money deposited shall stand forfeited.

8. अधोहस्ताक्षरित 15 दिन सुपुर्दगी समय के पश्चात, न्यायोचित एवं वास्तविक आधार पर अधिक से अधिक 5 दिन के लिए 100/ रुपए प्रति दिन विलंब शुल्क के साथ, सामान की सुपुर्दगी की तिथि आगे बढ़ा सकता है।


30/03/21

पृष्ठ 3 ऑफ 5





The undersigned may extend the period on justified and genuine grounds for maximum of 5 days on payment of demurrage charge of Rs. 100/- per day i.e. viable from the date of expiry of 15 days delivery period, as mentioned above.

9. अधोहस्ताक्षरित सामान नीलामी की पूरी राशि प्राप्त होने के पश्चात, चोरी, उठाईगीरी आगजनी या अन्य किसी कारण से हुई क्षतिपूर्ति को स्वीकार नहीं करेंगे ।

The undersigned will not entertain any claim for damage done by the way of theft, pilferage, fire or any other unforeseen calamity after realizing full payment against the sale of auctioned items.

10. उपरोक्त नीलामी की दरे / कोटेशन खोलने की तिथि से अगले 30 दिनों तक खुली रहेंगी। यदि किसी भी बोलीदाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात कोई भी बोलीदाता अपनी कोटेशन को खोलने की तिथि पर वापिस लेता है या निबंधन एवं शर्तों में सुधार करता है, जो कि विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो गवर्नमेंट किसी अन्य अधिकार या उपाय के लिए पूर्वागृह के बगैर, उसकी 50% अग्रिम राशि जब्त करने में स्वतंत्र होगी और यदि कोई बोलीदाता जिसकी बोली / कोटेशन, विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई है, अगर पूरी बोली राशि, 10 दिन में जमा करने में असफल रहता है तो उसकी पूरी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी ।

The quotation for the above auction shall remain open for a period of 30 days from the date of opening of quotations. The Government shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 50% of the earnest money if any quotationers withdraws his quotation before that date or makes any modification in the terms and conditions of the quotation which are not acceptable to the department, and to forfeit the whole of the earnest money if the quotationers, whose quotation is accepted, fails to deposit the whole bidding amount within 10 days of issue of letter of acceptance of auction.

कैबलीवाल 28/03/21


पृष्ठ 4 ऑफ 5





11. विभाग के पास किसी भी कोटेशन को, बिना कोई कारण बताए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

The department reserves the right to accept or reject any offer either part or whole without assigning any reason.


(अभिजीत काशलीवाल /AbhijeetKashliwal)
अधिशासी अभियंता/ Executive Engineer

प्रतिलिपी/Copy to:-

1. अधीक्षण अभियंता (स०), यमुना बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली /Superintending Engineer(C), Yamuna Basin Organization, CWC, New Delhi.
2. अधीक्षण अभियंता, योजना परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग, फरीदाबाद /Superintending Engineer, Planning Circle, CWC, Faridabad.
3. सहायक लेखा अधिकारी योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद। Assistant accounts officer, P&I Division, CWC, Faridabad.
4. उपमंडल अभियंता, स्त० एवं प्र० उपमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली /Sub Divisional Engineer, M&E Sub Division, CWC, New Delhi.
5. नोटिस बोर्ड परिमंडल एवं मण्डल कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद। Notice Board CircleOffice/Division Office, CWC, Faridabad,
6. केन्द्रीय जल आयोग वेब पोर्टल / CWC Web Portal.

पृष्ठ 5 ऑफ 5

